

न्यायालय:- चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 भिण्ड (म.प्र.)

(समक्ष : विकाश शुक्ला)

व्यवहारवाद प्रकरण क्र0 2400104ए / 2016

फाईल. क्र. 1018312016

संस्थापित दिनांक- 11.07.2015

1. रामसिंह पुत्र रामकिशन यादव आयु 50 वर्ष
2. फूल कुँवर वेवा रामकिशन यादव आयु 80 वर्ष
निवासीगण ग्राम देवगढ किटी परगना व
जिला भिण्ड

..... वादीगण

वि रू द्ध

1. प्रहलाद सिंह पुत्र रामभरोसे यादव उम्र 60वर्ष
2. सूवेदार सिंह पुत्र रामभरोसे उम्र 58 वर्ष
3. हाकिम सिंह पुत्र रामभरोसे उम्र 55 वर्ष
4. सूरज सिंह पुत्र रामभरोसे सिंह उम्र 50 वर्ष
निवासीगण ग्राम देवगढ किटी परगना व
जिला भिण्ड
5. म0प्र0 राज्य द्वारा कलेक्टर भिण्ड म0प्र0

.....प्रतिवादीगण

(// आदेश //)

(आज दिनांक 15.12.2016 को पारित किया गया)

1. यह आदेश आवेदक/वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम-1 व 2 सहपठित धारा 151 सीपीसी का निराकरण करेगा।
2. वादपत्र के अभिवचन एवं आवेदन के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम देवगढ स्थित सर्वे क्रमांक 948, 949, 993, 1174, 1192 कुल क्षेत्रफल 0.45 हेक्टेयर वादीगण एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 4 के सहस्वामित्व व कब्जे की जमीन है। इस प्रकरण में सर्वे क्रमांक 993 क्षेत्रफल 0.44 हेक्टेयर भूमि विवादित भूमि है। वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही पूर्वज की संतान होकर काफी समय से अलग रह रहे हैं, परंतु कृषि शामिल होती है। सर्वे क्रमांक 993 का पूर्व सर्वे क्रमांक 1108 है। वादी के दादा मलखान और उनकी मृत्यु

के उपरांत वादी के पिता रामकिशन वर्ष 1973 में अकेले भूमि स्वामी होकर कृषि कर रहे थे। दिनांक 19.9.1973 को वादी के पिता रामकिशन के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 4 के पिता रामभरोसे के पक्ष में 1/2 भाग का विक्रय पत्र संपादित करने से रामकिशन विवादित भूमि के 1/2 भाग पर कृषि कार्य करने लगे। प्रतिवादीगण ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर संपूर्ण क्षेत्र पर नाम दर्ज करा लिया। वादी ने जब सर्वे क्रमांक 993 के खसरे की वर्तमान स्थिति प्राप्त करने हेतु नकले प्राप्त की तो उसे जानकारी प्राप्त हुई कि संवत् 2030 से संवत् 2071 तक विवादित आराजी पर वादी के पिता रामकिशन और उनकी मृत्यु के उपरांत वादी का नाम 1/2 भाग पर राजस्व अभिलेख में दर्ज था, परंतु वर्ष 2013-14 में वादी का नाम विवादित आराजी से हटा दिया गया है, जबकि विवादित सर्वे क्रमांक के 1/2 भाग पर वादी का स्वत्व एवं आधिपत्य है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना वादी के पक्ष में है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया है कि मामले के निराकरण तक प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि का अंतरण न करे। आवेदन के समर्थन में रामसिंह ने स्वयं का शपथपत्रीय कथन प्रस्तुत किया है।

3. प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अग्रसर हुई है।

4. आवेदन के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि—

अ. क्या प्रथम दृष्टया मामला वादीगण/आवेदकगण के पक्ष में है?

ब. क्या सुविधा का संतुलन वादीगण/आवेदकगण के पक्ष में है?

स. यदि अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं की गई तो क्या वादीगण/आवेदकगण को अपूर्णनीय क्षति होना संभावित है?

5. इस मामले में वादीगण के अभिवचन के अनुसार ग्राम देवगढ मौजा उमरी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 993 क्षेत्रफल 0.44 हेक्टेयर वादग्रस्त भूमि है। वादीगण के अभिवचन एवं उनकी ओर से प्रस्तुत शपथपत्रीय कथन के अनुसार वादग्रस्त भूमि के पूर्व स्वामी वादी के दादा मलखान तथा उनकी मृत्यु उपरांत वादी के पिता रामकिशन थे, परंतु दिनांक 19.9.1973 को वादी के पिता रामकिशन ने प्रतिवादी के पिता रामभरोसे को उक्त भूमि में से 1/2 भाग विक्रय कर दिया और शेष भाग पर वादी के पिता रामकिशन कृषि कार्य करते रहे। प्रतिवादीगण ने राजस्व अधिकारियों से मिलकर वादग्रस्त भूमि के संपूर्ण क्षेत्रफल पर अपना नाम दर्ज करवा लिया जबकि वादीगण का 1/2 भाग पर स्वामित्व एवं आधिपत्य है।

6. वादीगण के अभिवचन एवं शपथ पत्र के तथ्यों का कोई खण्डन प्रतिवादीगण की विधिवत तामील उपरांत अनुपस्थिति के कारण अभिलेख पर नहीं है।

7. वादीगण की ओर से प्रस्तुत खसरा वर्ष 2012-13 की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से यह प्रकट है कि वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 993 के 1/2 भाग पर वादीगण तथा 1/2 भाग पर प्रतिवादीगण का अधिकार है। विक्रय पत्र दिनांक 19.9.1973 की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से भी प्रकट है कि वादीगण के पिता रामकिशन के द्वारा प्रतिवादीगण के पिता रामभरोसे को वादग्रस्त भूमि का 1/2 भाग ही विक्रय किया गया है। वर्ष 2016-17 के अवलोकन से प्रकट है कि वादग्रस्त भूमि का संपूर्ण क्षेत्रफल प्रतिवादीगण के नाम अंकित है।

8. वादी की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजों से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि वर्ष 2012-13 में वादग्रस्त भूमि के 1/2 भाग पर वादीगण का अधिकार था तथा वादीगण के पिता/पति ने वादग्रस्त भूमि का 1/2 भाग ही विक्रय किया था तथा वर्तमान राजस्व अभिलेख में संपूर्ण भाग पर प्रतिवादीगण का नाम अंकित है। इस प्रक्रम पर यह स्पष्ट नहीं है कि किस प्रकार प्रतिवादीगण का नाम वादग्रस्त भूमि के संपूर्ण क्षेत्रफल पर अंकित हो गया है। उक्त तथ्य का निराकरण उभयपक्ष की साक्ष्य उपरांत किया जाना संभव है। उपरोक्त के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला वादीगण के पक्ष में होना पाया जाता है। अतः प्रथम दृष्टया मामला वादीगण के पक्ष में है।

9. जहां तक सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना का वादीगण के पक्ष में होने का संबंध है, चूंकि प्रथम दृष्टया मामला वादीगण के पक्ष में होना पाया गया है, ऐसी स्थिति में यदि प्रतिवादीगण के द्वारा वादग्रस्त भूमि का विक्रय किया गया तो निश्चित ही प्रतिवादीगण की अपेक्षा वादीगण को अधिक असुविधा होगी और व्यर्थ की मुकदमेबाजी बढेगी। ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना भी वादीगण के पक्ष में होना पाई जाती है। अतः सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना भी वादीगण के पक्ष में है।

10. अतः उपरोक्त दर्शित तथ्य एवं परिस्थितियों में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों सिद्धांत वादीगण के पक्ष में होने से वादीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी पी सी स्वीकार करते हुए आदेशित किया जाता है कि प्रतिवादीगण मामले के निराकरण तक ग्राम देवगढ स्थित सर्वे क्रमांक 993 कुल क्षेत्रफल 0.44 हेक्टेयर भूमि का विक्रय न करें।

(विकाश शुक्ला)

चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
भिण्ड (मध्यप्रदेश)

आदेश आज दिनांक- 15.12.2016 को खुले न्यायालय में उद्घोषित दिनांकित एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(विकाश शुक्ला)
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
भिण्ड (मध्यप्रदेश)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि (शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि (शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि (शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)